कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 189/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक- 16.05.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 16.05.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

- **सोशल मीडिया पर खतरनाक तरीके से आग लगाकर रील बनाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार**
- **बुलेट मोटरसाइकिल पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की वीडियो इंस्टाग्राम पर की थी अपलोड**
- **पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल सीज, अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रचलित**

जनपद में कानून व्यवस्था एवं सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के क्रम में उ0नि0 अभिषेक कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी सिविल लाइन, आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 235/2026 धारा 285/287/288 बीएनएस व 7 CLA एक्ट पंजीकृत किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मीडियासेल आजमगढ़ से एक वीडियो प्राप्त हुई थी, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर serveshsonkar नामक आईडी से एक बुलेट मोटरसाइकिल संख्या UP50DC3535 के चारों तरफ पेट्रोल डालकर आग लगाते हुए रील बनाकर अपलोड किया गया था। उक्त उपेक्षापूर्ण एवं खतरनाक कृत्य से आसपास अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया तथा सड़क भी क्षतिग्रस्त हुई। इस प्रकार के कृत्य से समाज में गलत संदेश प्रसारित होने के दृष्टिगत मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

इसी क्रम में दिनांक 16.05.2026 को उ0नि0 सूर्यपाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त सर्वेश सोनकर पुत्र स्व0 प्रकाश सोनकर निवासी डीएवी कांशीराम आवास थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 24 वर्ष को समय 10:20 बजे थाना कोतवाली परिसर से नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद बुलेट मोटरसाइकिल संख्या UP50DC3535 को 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
सर्वेश सोनकर पुत्र स्व0 प्रकाश सोनकर निवासी डीएवी कांशीराम आवास थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़, उम्र 24 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 235/2026 धारा 285/287/288 बीएनएस व 7 CLA एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
01. उ0नि0 सूर्यपाल,थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
02. रि0का0 रितेश चौधरी,थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
03. रि0का0 अश्वनी सिंह, थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

➡️ पेट्रोल पम्प पर मारपीट व जानलेवा हमला करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

➡️ पुलिस ने अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे का राड किया बरामद

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मुबारकपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 191/2026 धारा 3(5), 115(2), 352, 351(3), 109(1) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त लोहे की राड बरामद किया गया। प्रकरण के अनुसार दिनांक 15.05.2026 को वादी विवेक तिवारी पुत्र कृष्णानन्द तिवारी निवासी छिड़ी ब्राह्मण सरैया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़, जो विशेन बीएस पेट्रोलियम बरडीहा उर्फ गडेरूआ में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं, द्वारा थाना मुबारकपुर पर लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 15.05.2026 को दोपहर लगभग 03:30 बजे किशन चौहान अपने साथियों के साथ पेट्रोल पम्प पर आया तथा अधिक मात्रा में पेट्रोल देने को लेकर कर्मचारियों से विवाद करने लगा। इसके पश्चात शाम लगभग 07:00 बजे अभियुक्त अपने 15-16 साथियों एवं एक महिला के साथ लाठी-डण्डा, रम्मा व अन्य घातक हथियारों से लैस होकर पेट्रोल पम्प पर पहुंचा और कर्मचारियों के साथ मारपीट करने लगा। बीच-बचाव करने पहुंचे सतीश चन्द सिंह पुत्र सूर्यनाथ सिंह निवासी अतरडीहा के सिर पर अभियुक्तों द्वारा लोहे की राड से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना के दौरान अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया तथा अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गये।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुबारकपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना के क्रम में दिनांक 16.05.2026 को व0उ0नि0 वीरेन्द्र यादव मय हमराह द्वारा चेकिंग एवं तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त किशन चौहान पुत्र रामलक्षन चौहान निवासी पिचरी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को औझौली पुल के पास से समय करीब 11:00 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

किशन चौहान पुत्र रामलक्षन चौहान निवासी पिचरी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

एक अदद लोहे का राड ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 191/2026 धारा 3(5), 115(2), 352, 351(3), 109(1) बीएनएस थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

व0उ0नि0 वीरेन्द्र यादव मय हमराह, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़

➡️ सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी व आपराधिक न्यास-भंग मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

➡️ ईसी एक्ट व धोखाधड़ी से जुड़े मुकदमे में ट्रक चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार

जनपद में सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कन्धरापुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 120/2026 धारा 3/7 ईसी एक्ट व धारा 316(5) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

प्रकरण के अनुसार दिनांक 14.05.2026 को पूर्ति निरीक्षक बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ संतोष कुमार शर्मा द्वारा थाना कन्धरापुर पर लिखित सूचना दी गयी कि दिनांक 13.05.2026 को समय लगभग 14:00 बजे दुल्लहपार अंडरपास

के पास खाद्यान्न से लदे ट्रक संख्या UP93T4551 का औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान विकास खण्ड बिलरियागंज हेतु सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के अंतर्गत परिवहन किये जा रहे सरकारी खाद्यान्न में से लगभग 07.50 कुंतल गेहूं का निजी लाभ हेतु दुरुपयोग एवं कालाबाजारी किया जाना पाया गया।

प्राप्त सूचना के आधार पर थाना कन्धरापुर पर मु0अ0सं0 120/2026 धारा 3/7 ईसी एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्तगण द्वारा सरकारी खाद्यान्न संपत्ति के न्यासधारी होते हुए संपत्ति का आपराधिक न्यास-भंग किया गया, जिसके आधार पर अभियोग में धारा 316(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

इसी क्रम में दिनांक 16.05.2026 को उ0नि0 प्रमोद मद्देशिया मय हमराह हे0का0 अजय कुमार कन्नौजिया व का0 विकास कुशवाहा द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अनिल पुत्र मंगरु यादव निवासी उकरौड़ा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को समय करीब 11:10 बजे पूर्वांचल सेहदा अंडरपास के नीचे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अनिल पुत्र मंगरु यादव निवासी उकरौड़ा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 30 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 120/2026 धारा 3/7 ईसी एक्ट व धारा 316(5) बीएनएस थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 120/2026 धारा 3/7 ईसी एक्ट व धारा 316(5) बीएनएस थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 प्रमोद मद्देशिया
2. हे0का0 अजय कुमार कन्नौजिया
3. का0 विकास कुशवाहा
   थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

➡ टेम्पो में यात्रियों के बैग से जेवर चोरी करने वाली 04 महिला अभियुक्त गिरफ्तार

➡ दो अलग-अलग चोरी के मामलों का सफल अनावरण, चोरी गये जेवरात बरामद

जनपद में चोरी एवं महिला अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अतरौलिया पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना स्थानीय पर पंजीकृत दो अलग-अलग चोरी के अभियोगों में कुल 04 महिला अभियुक्ताओं को चोरी गये माल के साथ गिरफ्तार किया गया है।

प्रकरण के अनुसार दिनांक 15.05.2026 को वादी जितेन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र रामराज निवासी पकड़ियापुर मखनहां थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गयी कि उनकी बहन कुसुम प्रजापति के साथ ई-रिक्शा से घर जाते समय अतरैठ बाजार के पास दो अज्ञात महिलाओं द्वारा बैग में रखा दो जोड़ा विछिया एवं एक जोड़ा पायल चोरी कर लिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 183/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के दौरान धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्ता रिया पत्नी शिवा निवासी गोहटा थाना सरपतहां जनपद जौनपुर तथा सीमा पत्नी धर्मेन्द्र निवासी गोहटा थाना सरपतहा जनपद जौनपुर का नाम प्रकाश में आया।

इसी क्रम में दिनांक 15.05.2026 को वादी अभयराज पुत्र झमई निवासी मिल्कीपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गयी कि उनकी पुत्री प्रीती के साथ टेम्पो से यात्रा के दौरान दो महिलाओं द्वारा बैग से एक जोड़ी हाथ पलानी एवं एक करधन चोरी कर लिया गया। शक होने पर दोनों महिलाओं को पकड़कर थाने लाया गया। प्राप्त

तहरीर के आधार पर थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 184/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा पूछताछ एवं बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।
विवेचना के दौरान उ0नि0 मनीष विश्वकर्मा द्वारा महिला हेल्पडेस्क पर नामित अभियुक्ताओं खुशबू पत्नी मनोज एवं पूजा पत्नी राजकुमार निवासीगण टैनी थाना पवई जनपद आजमगढ़ की तलाशी ली गयी, जिनके कब्जे से एक जोड़ी हाथ पलानी सफेद धातु एवं एक अदद करधन सफेद धातु बरामद हुआ। दोनों अभियुक्ताओं को दिनांक 15.05.2026 को समय 21:40 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।
वहीं दूसरी ओर उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला मय पुलिस टीम एवं महिला पुलिसकर्मियों द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम सरैया गेट के पास से अभियुक्ता रिया पत्नी शिवा एवं सीमा पत्नी धर्मेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ताओं के कब्जे से दो जोड़ा विछिया एवं एक जोड़ा पायल सफेद धातु बरामद किया गया। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्ताओं ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए गलती की माफी मांगी। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरण-

1. रिया पत्नी शिवा निवासी गोहटा थाना सरपतहां जनपद जौनपुर, उम्र 25 वर्ष।
2. सीमा पत्नी धर्मेन्द्र निवासी गोहटा थाना सरपतहा जनपद जौनपुर, उम्र 32 वर्ष।
3. खुशबू पत्नी मनोज निवासी टैनी थाना पवई जनपद आजमगढ़, उम्र 28 वर्ष।
4. पूजा पत्नी राजकुमार निवासी टैनी थाना पवई जनपद आजमगढ़, उम्र 29 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

1. दो जोड़ा विछिया सफेद धातु एवं एक जोड़ा पायल।
2. एक जोड़ी हाथ पलानी सफेद धातु एवं एक अदद करधन सफेद धातु।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 183/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 184/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

निल।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 मनीष विश्वकर्मा
2. उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला
3. म0उ0नि0 अनुराधा यादव
4. म0का0 सृष्टि मौर्या
5. हे0का0 मनोज कुमार
6. का0 रणवीर वर्मा

   थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

➡️ नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

➡️ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को भेजा जेल

जनपद में अपराध एवं महिला सुरक्षा के दृष्टिगत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना जीयनपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 213/2026 धारा 70(2)/352/351(3) बीएनएस, 5G/6 पाक्सो एक्ट व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

प्रकरण के अनुसार दिनांक 13.05.2026 को वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गयी कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्तगण द्वारा खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया गया तथा विरोध करने पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जीयनपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी, जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी सगड़ी द्वारा की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 16.05.2026 को प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1. बन्टी उर्फ श्याम बहादुर सिंह पुत्र सुधीर सिंह निवासी मेघई खास थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष तथा 2. विक्की उर्फ अंकुश भारती पुत्र मनोज निवासी कंजरा दिलशादपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष को कंजरा दिलशादपुर तिराहा स्थित देशी शराब ठेका के सामने से समय करीब 07:30 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. बन्टी उर्फ श्याम बहादुर सिंह पुत्र सुधीर सिंह निवासी मेघई खास थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़, उम्र 25 वर्ष।
2. विक्की उर्फ अंकुश भारती पुत्र मनोज निवासी कंजरा दिलशादपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़, उम्र 19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 213/2026 धारा 70(2)/352/351(3) बीएनएस, 5G/6 पाक्सो एक्ट व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 213/2026 धारा 70(2)/352/351(3) बीएनएस, 5G/6 पाक्सो एक्ट व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 विनय कुमार सिंह
2. उ0नि0 अमित कुमार तिवारी
3. का0 बुटाई शाह
4. का0 सत्यम सिंह
5. का0 रानू सैनी
6. रि0म0का0 सपना सरोज

   थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 16.05.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा गैर इरादतन हत्या के आरोप में 05 **वर्ष के कारावास व 16000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

थाना तहबरपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें गैर इरादतन हत्या के आरोप में अभियुक्त **को 05 वर्ष के कारावास व 16000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 21.06.2022 को वादी मुकदमा रीना पत्नी सन्तोष निवासी इसरपार खास थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि **अभियुक्त सूरज पुत्र पलकधारी निवासी चाँदपुर कुसमहरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा पिकप से वादिनी के दरवाजे के पास बैठे 04 लोगो को टक्कर मार दिया जिससे इलाज के दौरान 03 लोगो की मृत्यु हो जाना।**

➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना तहबरपुर पर मु0अ0सं0-104/22 धारा-304,308,120B भादवि पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 10 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में दिनांक-16.05.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0/ एन्टीकरप्शन(SPL) कोर्ट नं0-01 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त सूरज पुत्र पलकधारी निवासी चाँदपुर कुसमहरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 05 वर्ष के कारावास व 16000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।